कार्यालय जिला न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), अलीगढ़

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 02.08.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जिला न्यायालय अलीगढ़ परिसर में RCC Drain Network के निर्माण कार्य में बाधक बने **गेट संख्या-01 के निकट कुल 01 खड़े अयोग्य वृक्ष सेमल** के पातन के लिये नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही **दिनांक 12.08.2025 को सायं 04:30 बजे** जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में की जायेगी । प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित पत्रांक 327/ 22-1 अलीगढ़ दिनांक 31.07.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमी.	डायामीटर	दशा	श्रेणी	मूल्यांकन	धनराशि
1	सेमल	183	5-6	हरा खड़ा	अयोग्य	6380 / 3	2127.00
						योग	**2127.00**

उक्त अयोग्य वृक्ष का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से समय **11:00 AM** से **03:00 PM** के मध्य किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है । बतौर जमानत धनराशि **मु० 1,000/- रूपये** नीलामी की तिथि को **11:00 PM से 02:00 PM** तक जमा करने के पश्चात बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा । नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना **आधार कार्ड / पहचान पत्र** व **स्वप्रमाणित फोटो** की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय **मूल दस्तावेज** लेकर आना अनिवार्य होगा । उक्त नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों की अधिक जानकारी मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाइट **https://www.allahabadhighcourt.in**, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत बेवसाइट **https://aligarh.dcourts.gov.in** एवं शासकीय बेवसाइट **https://aligarh.nic.in** से व केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है ।

दिनांक:- 04.08.2025

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट) /
अलीगढ़ ।

Spl Judge (SC/ST Act) / Addl Dist. & Sess. Judge Aligarh

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
3. सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1607/Admin. (B-I) Sec. dated: Allahabad: May 10, 2024 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशानुसार शासनादेश सं० 562/19-02-2007-1007/74(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप उक्त विज्ञप्ति/सूचना का प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
5. जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
6. वाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
7. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
9. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
10. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
11. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट) /
अलीगढ़ ।

Spl Judge (SC/ST Act) / Addl Dist. & Sess. Judge Aligarh

जिला न्यायालय अलीगढ़ परिसर में RCC Drain Network के निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 01 खड़े अयोग्य वृक्ष के पातन व नीलामी हेतु नियम व शर्तें

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जिला न्यायालय अलीगढ़ परिसर में RCC Drain Network के निर्माण कार्य में बाधक बने **गेट संख्या-01 के निकट कुल 01 खड़े अयोग्य वृक्ष सेमल** के पातन के लिये नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही **दिनांक 12.08.2025 को सायं 04:30 बजे** जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में की जायेगी। उक्त अयोग्य वृक्ष का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से समय **11:00 AM से 03:00 PM** के मध्य किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगा सकता है :–

1. प्रत्येक बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि रु० 1,000/- (एक हजार) केन्द्रीय नजारत में केन्द्रीय नाजिर/कैशियर के पास नीलामी की तिथि को 11:00 PM से 02:00 PM तक जमा करनी होगी। यदि बोलीकर्ता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत नहीं होती है तो नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उपरान्त जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
2. आवंटी को पेड़ों की नीलामी की धनराशि का भुगतान निम्न प्रकार से करना होगा :-

   (क) रूपये 1,000/- नीलामी के पूर्व (जमानत धनराशि के रूप में)।

   (ख) बोली की कुल शेष धनराशि बोली स्वीकृत के 24 घण्टे के अन्दर जमा करना होगा।

   (ग) यदि आवंटी बोली की शेष धनराशि बोली स्वीकृत के 24 घण्टे के अन्दर समय सीमा में जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त करने के साथ ही शेष धनराशि शास्ति के तौर पर वसूल की जायेगी।

   (घ) वृक्ष की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल नीलामी–प्राप्तकर्ता को अनुमति–पत्र प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर ही वृक्ष का कटान व निकास करना होगा।
3. क्रेता नियमानुसार आय कर एवं स्टाम्प शुल्क जमा करेगा।
4. वृक्ष की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में तथा कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा नियमानुसार निर्धारित कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त होगी।
5. सभी वृक्षों की कटाई, जड़ खुदान क्रेता द्वारा की जायेगी तथा जड़ खुदान के बाद क्रेता द्वारा गड्ढा बन्द करना होगा।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी–प्राप्तकर्ता को वृक्ष तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. नीलामी–प्राप्तकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम निकास अवधि तक उनके द्वारा किये गये कृत्य से अथवा किसी अन्य प्रकार से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की दशा में हुई क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।
8. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी।
9. नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ का होगा।
10. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।
11. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड / पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा।

12.नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, अलीगढ़ होगा ।

13. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की नीलामी द्वारा विक्रय रद्द समझा जायेगा ।

तदानुसार, जिला न्यायालय अलीगढ़ परिसर में RCC Drain Network के निर्माण कार्य में बाधक बने गेट संख्या-01 के निकट कुल 01 खड़े अयोग्य वृक्ष सेमल के पातन के लिये नियमानुसार नीलामी किये जाने हेतु आज दिनांक 01.08.2025 का कार्यवृत्त माननीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है ।

(संजय कुमार यादव-I) सदस्य, नीलामी समिति / अपर जिला जज, कोर्ट सं०-04, अलीगढ़ ।	(राकेश वशिष्ठ) सदस्य, नीलामी समिति / विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) अलीगढ़ ।	(सुभाष चन्द्रा-VIII) अध्यक्ष, नीलामी समिति / विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) अलीगढ़ ।

Approved.
2/8/25
Distt. & Sess's Judge
ALIGARH